चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज हरिद्वार के निर्माण की योजना के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22 जून, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 जून, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री अमित नेगी, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ० वी० षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. डॉ० आशुतोष सयाना, अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री ओम प्रकाश, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– क्षेत्रवासियों को श्रेष्ठ स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज हरिद्वार के भवन निर्माण योजना की आवश्यकता के क्रम में विस्तृत योजना प्रस्ताव तैयार किया गया है।

2. **योजना में प्राविधान** :– योजना में निम्न कार्य प्रस्तावित किये गये है:–

S. No.	Description of Building	No. of Floors	Total built area (sq.mt.)
1	Teaching Hospital	G + 4	49861
2	Medical College and Adminstration	G + 7	18365
3	Examination Hall	G +1	1182
4	Boy's Hostel	G + 8	7176
5	Girl's Hostel	G + 8	7417
6	Boys intern Hostel	G + 5	930
7	Girls Intern Hostel	G + 5	930
8	Nurse's Hostel	G + 5	2490
9	Senior Resident	S + 3	1706
10	Junior Resident	S +3	2000
11	Director's Residence	G + 1	393
12	TYPE –V Residence	S + 3	1773
13	TYPE – IV Residence	S + 3	3868
14	TYPE – III Residence	S + 3	1880
15	TYPe-II Residence	S + 3	1578
16	Club Building	G + 1	1160
17	Community Building	G + 1	851
18	Guest House	G + 1	1353
19	Sports Building	G + 1	592
	Total		**109662**

3. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

3.1 योजना को दिनांक 25.03.2021 में आयोजित मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया, व्यय वित्त समिति द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि हरिद्वार में मेडिकल कालेज निर्माण के औचित्य, आवश्यकता, राज्य सरकार के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु राज्यांश के अतिरिक्त व्यय भार वहन किये जाने एवं संचालन में होने वाले वार्षिक

क्रमशः पृष्ठ–2/–

आवर्तक व्यय के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग, विस्तृत आख्या सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मंत्री मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत करें। मंत्री मण्डल के निर्णय के अनुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।

3.2 मेडिकल कालेज को पी0पी0पी0 मोड में संचालित किये जाने के सन्दर्भ में भी प्रशासनिक विभाग गंभीरता से विचार कर लें।

3.3 प्रशासनिक विभाग द्वारा व्यय वित्त समिति के निर्णय के क्रम में प्रकरण मंत्रीमण्डल के विचारार्थ दिनांक 28 मई, 2021 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा मंत्रीमण्डल द्वारा प्रशासनिक विभाग के निम्नानुसार प्रस्ताव पर विचार किया गया :–

"व्यय वित्त समिति के निर्णय के आलोक में यह अवगत कराया जाना है कि जिला चिकित्सालय को मेडिकल कालेज चिकित्सालय बनाये जाने के पश्चात भी राज्य सरकार को जिले में एक अन्य जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत करने की आवश्यकता रहती है, जिसके लिए स्थान एवं लगभग उतने ही धन की आवश्यकता होती है, जितना की किसी छोटे चिकित्सालय को उच्चीकृत करके जिला चिकित्सालय बनाये जाने में होती है। प्रत्येक जनपद में जिला चिकित्सालय की आवश्यकता अपरिहार्य है। उत्तराखण्ड राज्य में जनपद हरिद्वार की जनसंख्या सर्वाधिक है हरिद्वार जनपद एवं उत्तराखण्ड के अन्य समीपवर्ती के नागरिकों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मेडिकल कालेज एवं मेडिकल कॉलेज के साथ उच्च चिकित्सा सुविधायुक्त चिकित्सालय स्थापित किये जाने से उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं एवं संसाधनों में वृद्धि होगी।"

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाना है कि 100 एम0बी0बी0एस0 छात्रों हेतु स्थापित मेडिकल कालेज के संचालन हेतु वार्षिक आवर्तक व्यय लगभग रू0 80.00 करोड आता है, जिसका व्ययभार राज्य सरकार पर ही निहित होता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार के निर्माण हेतु उक्त प्रस्तर–2 के विश्लेषण के अनुसर राज्यांश (रू0 32.50 करोड) की धनराशि के अतिरिक्त रू0 213.40 करोड के व्ययभार का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव को मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

3.4 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें मेडिकल कालेज निर्माण के आगणन को व्यय वित्त समिति में प्रस्तुतिकरण की संस्तुति की गयी।

3.5 योजना का वित्त पोषण भारत सरकार से 90:10 अनुपात में (रू0 325.00 करोड) स्वीकृत है।

3.6 मेडिकल कालेज हेतु केन्द्रांश रू0 75.00 करोड राज्य सरकार को अवमुक्त किया गया है।

3.7 योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।

3.8 भवन निर्माण हेतु कार्य स्थल का Geo Technical Investigation एवं Soil Investigation का कार्य कराया गया है। मिट्टी की सुरक्षित भार वहन क्षमता 2.5 मीटर गहराई 12.5 टन प्रति वर्ग मीटर आंकलित की गयी है इसी के अनुसार राफ्ट फाउण्डेशन के साथ संरचनात्मक डिजाइन एवं ड्राइंग तैयार की गयी है।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

3.9 स्ट्रक्चरल डिजाइन में Seismic zone-IV के अनुसार मानक Zone Factor 0.24 के अनुसार गणनायें की गयी है।

3.10 भवन निर्माण में Solar water Harvesting, Sprinkler System, Fire Safety इत्यादि सभी आवश्यक कार्यो का समावेश किया गया है।

3.11 मेडिकल कालेज परिसर में वाहन पार्किंग हेतु मानकों के अनुसार पार्किंग स्पेस दिया गया है।

3.12 मेडिकल कालेज हेतु डी0पी0आर0 का गठन भारत सरकार के दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुसार किया गया है।

3.13 योजना आगणन में प्रस्तावित कार्यो एवं ड्राइंग में प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, हरिद्वार की सहमति के रूप में आगणन एवं मानचित्र में हस्ताक्षर किये गये है।

3.14 मेडिकल कालेज भवन निर्माण हेतु निर्माण अवधि 24 माह निर्धारित की गयी है।

3.15 भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि, मानचित्र में गंगा नदी के दाये तट पर अंकित है, अतः भवन निर्माण में एन0जी0टी0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

4 **लागत का विश्लेषण** :– योजना आगणन में प्रस्तावित कार्यो की लागत रू0 538.40 करोड है। योजना हेतु भारत सरकार से 90:10 के अनुपात में वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 325.00 करोड स्वीकृत है। इस प्रकार योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को राज्यांश की धनराशि के अतिरिक्त रू0 213.40 करोड का अतिरिक्त व्यय भार वहन करना हैं परियोजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

PACKAGE-1 SUMMARY OF COST

Rs in Lac

S.No.	ITEM OF WORKS	DSR AMOUNT	MR AMOUNT	S.O.R AMOUNT
1	Academic Block	5,172.26	160.76	
2	Examination Hall	294.66	11.80	
	Hostels	-	-	
3	Boys hostel	1,607.92	1.12	
4	Girls hostel	1,631.18	0.37	
5	Boys intern hostel	224.05	1.93	
6	Girls intern hostel	227.14	1.93	
7	Nurses hostel	536.57	2.61	
	Residences	-	-	
8	Senior Resident	401.03	2.92	
9	Junior Resident 2 Nos	772.77	4.57	
10	Type II	777.82	1.87	
11	Type III	510.51	1.87	
12	Type IV	671.58	1.48	
13	Type V	431.58	1.12	
14	Director residence	116.77	-	
15	Guest House	446.74	0.59	
16	Canteen	36.67	-	
17	**Sports complex**	**157.76**	-	
18	Sub Station	89.73	-	

क्रमशः पृष्ठ–4/–

19	**Club House**	**363.23**	**7.82**	
20	**Community Center**	**332.07**	**1.78**	
	Cost All Building	14,802.02	204.53	-
21	Development of site	764.01	-	699.33
22	Internal & External Plumbing Works of Other buildings	771.50	495.83	
23	Other Buildings Internal Electrical and Other services	970.88	1,417.89	
24	Fire Fighting Works & HVAC works For Buildings.	626.83	444.12	
25	External Electrical	587.37	1,461.46	
26	Furniture Other Buildings	-	1,785.87	
27	Signages	-	237.63	
	Total Cost	**18,522.61**	**6,047.32**	**699.33**
	Add Labour Cess@ 1% on 23,24,25 Electical,Firefighting,HVAC on DSR items		-	
	Sub Total A	**18,522.61**	**6,047.32**	**699.33**
	Add for preparation of detailed working drawings @0.25% on Sub total A			
	Add for preparation of detailed estimates @0.25% on Sub total A			
	Add for preparation of structral drawings @0.75% on Sub total A			
	Add Contigency @ 3% on Sub total A	555.68	-	20.98
	Add GST@12% on SOR	-	-	83.92
	Sub Total B	**19,078.29**	**6,047.32**	**804.23**
	Add Centage @6.5% on Sub total Rs 4023.82	1,240.09	261.55	52.84
	Add Centage @1.0% on Sub total on signage and furniture on Rs 2023.5		20.24	
	Add GST@18% on centage			
	Total Project Cost	**20,318.38**	**6,329.11**	**857.07**
	TOTAL OF PACKAGE-1		**27,504.55**	

PACKAGE-2 SUMMARY OF COST

Rs in Lac

S.No.	ITEM OF WORKS	DSR AMOUNT	MR AMOUNT
1	Teaching Hospital	13,580.41	1,049.90
2	Rain Basera, Sulabh & Shoping Complex	455.40	0.43
3	Mortuary & Workshop	218.16	8.19
4	Waste Management	40.43	-
	Cost All Building	**14,294.39**	**1,058.52**
5	Internal & External Plumbing Works of Hospital building.	358.34	107.06
6	Hospital Internal Electrical and Other services	711.22	5,705.42
7	Fire Fighting Works & HVAC works For Hospital Building.	364.25	499.05
8	Oxygen Generation System	-	337.00

क्रमशः पृष्ठ–5/–

9	Furniture Works	-	760.79
10	Biomedical Waste Plant Equipment	-	100.00
	Total Cost	**15,728.21**	**8,567.85**
	Add Labour Cess@ 1% on 6,7 Electical,Firefighting,HVAC on DSR items		
	Sub Total A	**15,728.21**	**8,567.85**
	Add for preparation of detailed working drawings @0.25% on Sub total A		
	Add for preparation of detailed estimates @0.25% on Sub total A		
	Add for preparation of structral drawings @0.75% on Sub total A		
	Add Contigency @ 3% on Sub total A	471.85	-
	Sub Total B	**16,200.05**	**8,567.85**
	Add Centage @6.5% on Sub total Rs7807.06 lacs	1,053.00	507.46
	Add Centage @1% on Furniture Works Sub total Rs 760.79lacs		7.61
	Add GST@18% on centage		
	Total Project Cost	17,253.06	9,082.91
	Total Package 2	**26,335.97**	
	Grand Total (Package 1 + Package 2)	**27,504.55 + 26335.97 = 53840.52 lakh Rs 538.40 Cr.**	

5 व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, विस्तृत चर्चा के उपरान्त राजकीय मेडिकल कालेज, हरिद्वार के सम्बन्ध में मुख्य सचिव/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा निम्न विस्तृत निर्देश दिये गये जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

I. कार्यो की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय, इस सम्बन्ध में Third Party Quality Assurance हेतु वाह्य संस्था नियोजन विभाग द्वारा नियुक्त की जायेगी, जो त्रैमासिक रिपोर्ट नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) को प्रस्तुत करेगें नियोजन विभाग द्वारा रिपोर्ट परीक्षण के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

II. राजकीय मेडिकल कालेज में Rationalize Charges पर निम्न विभागों के संचालन की व्यवस्था की जाय।

a) South के Medical Colleges के अनुरूप Cardiac Department.
b) Kidney Department /Nephrology Dept.
c) Lever Transplant.
d) Neuro Surgery.
e) Knee Replacement.
f) Troma Centre

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न संस्थानों से सम्पर्क स्थापित किया जाय।

1. Institute of Biliary Science, Delhi.
2. Institute of Spinal Injury Centre, Delhi.

क्रमशः पृष्ठ–6/–

3. सभी निर्माण कार्यो को एक ही साथ प्रारम्भ न किया जाय यह कार्य Phasing में किया जाय, धन की उपलब्धता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर कार्य सम्पादित कराये जाय।
4. कार्यदायी संस्था द्वारा जनपद हरिद्वार में अपना एक ऑफिस स्थापित किया जायेगा।

चर्चा के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के **सारांश–4 में उल्लिखित मदवार विवरण का राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 538.40 करोड** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट एवं जैम पोर्टल/पारदर्शी एवं खुली निविदा के माध्यम से वित्तीय नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली–2017 का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5.2 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.3 योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय ताकि निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।

5.4 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पाईप, cement एवं अन्य का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

5.5 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing सक्षम स्तर से अनुमोदित कराये जाय।

5.6 आगणन में एस0ओ0आर0 पेयजल निगम/लोक निर्माण विभाग/डी0एस0आर0 2018 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.7 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.7 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव

क्रमशः पृष्ठ–7/–

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 698/720/ई0एफ0सी0/चिकित्सा विभाग/रा0यो0आ0/2021
देहरादूनः दिनांकः 30, जून, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)